



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



संचिका संख्या SHSB/GA/NTCP/2329/2017/ 6785 दिनांक 09/12/18

प्रेषक

लोकेश कुमार सिंह, भा०प्र०से०
विशेष सचिव स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, बिहार
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक बिहार

विषय: राज्य में विनिर्दिष्ट चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी के बिना बेचे जाने वाले खुली/एकल सिगरेट के विक्रय पर प्रतिबंध के संबंध में।

महाशय/महाशया,

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन), अधिनियम 2003 (कोटपा-2003) के धारा -'7' एवं '8' के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर विनिर्दिष्ट चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी का मुद्रण अनिवार्य है। विनिर्दिष्ट चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी रहित तम्बाकू उत्पादों का विक्रय, आपूर्ति, भण्डारण एवं वितरण प्रतिबंधित है तथा संदर्भित अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

2. चूंकि बिना पैकेट वाली खुली सिगरेट पर विनिर्दिष्ट चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी मुद्रित नहीं रहती है, अतः खुली सिगरेट/एकल सिगरेट का भी विक्रय, आपूर्ति, भण्डारण एवं वितरण सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा-2003) के अंतर्गत प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वाले उक्त अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन के पात्र हैं।

3. उक्त संदर्भ में अनुरोध है कि इस अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये अपने जिलान्तर्गत गठित छापामार दस्तों को कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाय तथा कृत कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(लोकेश कुमार सिंह)

09/12/18

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014

दूरभाष: 0612-2290328, 2281232 फैक्स: 2290322 Website: www.statehealthsocietybihar.org





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



संचिका संख्या SHSB/GA/NTCP/2329/2017/

दिनांक

प्रेषक

लोकेश कुमार सिंह, भा०प्र०से०
विशेष सचिव स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, बिहार
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक बिहार

विषय: राज्य में विनिर्दिष्ट चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी के बिना बेचे जाने वाले खुली/एकल सिगरेट के विक्रय पर प्रतिबंध के संबंध में।

महाशय/महाशया,

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन), अधिनियम 2003 (कोटपा-2003) के धारा -'7' एवं '8' के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर विनिर्दिष्ट चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी का मुद्रण अनिवार्य है। विनिर्दिष्ट चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी रहित तम्बाकू उत्पादों का विक्रय, आपूर्ति, भण्डारण एवं वितरण प्रतिबंधित है तथा संदर्भित अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

2. चूंकि बिना पैकेट वाली खुली सिगरेट पर विनिर्दिष्ट चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी मुद्रित नहीं रहती है, अतः खुली सिगरेट/एकल सिगरेट का भी विक्रय, आपूर्ति, भण्डारण एवं वितरण सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा-2003) के अंतर्गत प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वाले उक्त अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन के पात्र हैं।

3. उक्त संदर्भ में अनुरोध है कि इस अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये अपने जिलान्तर्गत गठित छापामार दस्तों को कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाय तथा कृत कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

ज्ञापक : SHSB/GA/NTCP/2329/2017/ 6785 पटना/ दिनांक 09/2/18

प्रतिलिपि-

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक प्रमुख (मानसिक रोग) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. सभी जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकॉनामिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी, (सीडस), बिहार।

विशेष सचिव स्वास्थ्य
-सह-
कार्यपालक निदेशक



STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014

दूरभाष: 0612-2290328, 2281232 फैक्स: 2290322 Website: www.statehealthsocietybihar.org